

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, रामपुर
पत्रांक /14-1 रामपुर, दिनांक : सितम्बर 2017

सेवा में,

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक
मुरादाबाद वृत्त, मुरादाबाद

विषय :-

रामपुर में पिपलिया मिश्र से तीनपानी मुण्डिया कलां-कमुआ-कैमरी मार्ग किमी0 चैनेज 8.568 से 8.618 की दायीं पटरी पर ग्राम नारायन नंगला के खसरा संख्या-238 पर मै0 इण्डियन आयल कारपोरेशन लि0 बरेली द्वारा विकसित किये जा रहे के सम्पर्क मार्ग हेतु 0.07758 (संशोधित 0.088768 है0) संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग बिना वृक्ष पातन के अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ -

आपका पत्रांक सं0-488/रामपुर/27070/2017 दिनांक 18.08.2017

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण निम्न प्रकार प्रेषित है।

Observation No	Observation	Reply
1	प्रस्तावित वन भूमि की गणना ले आउट प्लान के अनुसार नहीं है, मध्य भाग की गणना मार्ग के किनारे से निजी भूमि की दूरी की 16.30 मी0 के स्थान पर 12.00 मी0 के अनुसार की गयी है, जो त्रुटि पूर्ण है। संशोधित गणना के अनुसार पूर्ण प्रस्ताव को ऑन लाईन एवं ऑफ लाईन संशोधित करें।	प्रभावित वन भूमि की गणना अनुमोदित ले-आउट प्लान के अनुसार कर दी गयी है। जो प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या-27 पर संलग्न है। प्रस्ताव के मध्य भाग की गणना 16.30x 26.00 के आधार पर की गयी है। संशोधित गणना के अनुसार आनलाइन एवं आफ लाइन फार्म -ए, बी संशोधित कर दिये गये हैं।
2	प्रस्ताव के साथ संलग्न संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट पर प्रयोक्ता एजेंसी के सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर अंकित नहीं हैं। उपरोक्त बिन्दु-1 के आलोक में में संशोधित संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट पर सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर के कराकर ऑन लाईन अपलोड करें एवं प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।	प्रस्तावित स्थल की संयुक्त निरीक्षण संयुक्त निरीक्षण पर सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर करा दिये गये हैं। जो प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या-28 पर संलग्न है।
3	ऑनलाइन पार्ट-2 में महत्वपूर्ण अभिलेख संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट, चिन्हित वन स्वरूप प्रमाण, वन भूमि, गैर वन भूमि की गणना, गजट नोटिफिकेशन, क्षतिपूरक वनीकरण वन एन0पी0वी0जमा करने की बचत वृद्धता, स्वामित्व वाले विभाग की अनापत्ति, अनुमोदित ले-आउट प्लान, मक डिस्पोजल प्लान आदि अपलोड नहीं है। उपरोक्त बिन्दु-1 के आलोक में समस्त अभिलेखों को संशोधित कर सक्षम अधिकारी	आनलाइन पार्ट-2 में महत्वपूर्ण अभिलेख अपलोड कर दिये गये हैं।

	के हस्ताक्षर कराकर ऑनलाईन पार्ट-2 के Additional Information Detail में अपलोड करें व प्रस्ताव के संलग्न करें।	
4	Justification Latter में भी मध्य भाग की चौड़ाई 16.30 के स्थान पर 12 मीटर अंकित किया गया है। उपरोक्त बिन्दु-1 के आलोक में प्रमाण पत्र को संशोधित कर सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर कराकर ऑनलाईन पार्ट-1 में अपलोड करें व प्रस्ताव के साथ संलग्न करें। उपरोक्तानुसार सूचनाओं एवं अभिलेखों को पूर्ण कर क्रमवार पृष्ठ सं० एवं तदनुसार विषय सूची को ठीक करने का कष्ट करें।	जस्टीफिकेशन संशोधित कर आनलाईन पार्ट-1 में अपलोड कर दिया गया है।

अतः उपरोक्तानुसार प्रस्ताव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न के प्रस्ताव की दो प्रतियाँ

भवदीय

(गजेन्द्र सिंह)

प्रभागीय निदेशक

सामाजिक वानिकी प्रभाग, रामपुर।

पत्रांक

/14-1

दिनांकित

प्रतिलिपि श्री अरुण ठाकले सी.डी.आर.एस.एम. इण्डियन आयल कारपोरेशन लि० बरेली को सूचनार्थ प्रेषित।

(गजेन्द्र सिंह)

प्रभागीय निदेशक

सामाजिक वानिकी प्रभाग, रामपुर।